न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

मि0न0 18/2015(जी.सी.एम.एस. 2019/00096)

पीठासीन अधिकारीः— डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

शिशुपाल पुत्र यादराम जाति जादों ठाकुर नि0 ग्राम अऊ तहसील व जिला डीग(राज0)

—सायल

बनाम

1. श्याम सिंह पुत्र राधेलाल
2. बालकिशन उर्फ वल्ला पुत्र दुलीचन्द
3. बृजकिशोर पुत्र दुलीचन्द
4. मान सिंह पुत्र चरन सिंह
5. नेत्रपाल पुत्र चरन सिंह

जातियान जादों ठाकुर नि0 ग्राम अऊ तहसील व जिला डीग(राज0)

—गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,

दिनांकः 24.06.2024

निर्णय

सायल द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बरान 144/0.19, 145/0.36, 552/0.36, 560/0.35, वाके ग्राम अऊ तहसील डीग में स्थित है। विवादित आराजी सायल एवं गैर सायलान संख्या 01 लगायत 5 की सह काश्तकारी एवं खातेदारी की आराजी है और उक्त आराजी पर सायल व गैर सायलान संख्या 01 लगायत 05 का हिस्सों के मुताविक कब्जा है। सायल कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग की आराजी खेवट खतौनी संख्या 365 में 1/8 हिस्से का व खाता संख्या 30 में 1/8 हिस्से का व खाता संख्या 29 में 1/8 हिस्से का व खाता संख्या 31 में 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और इसी प्रकार सायल ग्राम अऊ की आराजी में खेवट खतौनी संख्या 412 में 1/4 हिस्से का व खाता संख्या 417 में 1/4 हिस्से का व खाता संख्या 418 में 1/9 हिस्सा दर हिस्सा 11/12 का खाता संख्या 113 में 1/2 हिस्से का खाता संख्या 416 में 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और इसी के अनुसार सायल का ग्राम अऊ एवं कस्बा डीग द्वितीय की आराजी पर कब्जा है। सायल एवं गैर सायलान की उक्त आराजी अविभाजित आराजी है जिसका विभाजन अभी नहीं हुआ है। सायल एवं गैर सायलान पूर्व में मनबट के आधार पर कृषि व काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम अऊ में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बरान 144/0.19, 145/0.36, 552/0.36, 560/0.35,डीग भरतपुर राजमार्ग पर स्थित है और उक्त आराजी को लेकर गैर सायलान के मन में बदयांति आई हुई है और अभी हाल में गैर सायलान मान सिंह व नेत्रपाल ने हाल आराजी खसरा नम्बर 560/0.35 की आराजी पर इलैक्ट्रॉनिक कांटा लगाने की धमकी दी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बरान 144/0.19, 145/0.36, 552/0.36, 560/0.35, वाके ग्राम अऊ तहसील डीग पर गैर सायलान को पावंद फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र/प्रकरण में सायल को सुनवाई उपरांत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 03.05.2015 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 31.03.2015 को गैर सायलान संख्या 01, 02, 05, 06 व 08 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि सायल एवं गैर सायलान पूर्व मनबट के आधार पर कृषि व काश्त करते चले आ रहे है। सायल ने यह भी उल्लेखित नहीं किया गया है कि वो विवादित आराजीयात में से मनबट के आधार पर किस नम्बर पर काबिज है और गैर सायलान किस किस नम्बर पर काबिज है। इसलिए सायल द्वारा पेश दावा इन तथ्यों के अभाव में अपूर्ण है। ग्राम अऊ में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बरान 144,145, 552, 560 जोकि डीग–भरतपुर राजमार्ग पर स्थित है। उनमें से हाल आराजी खसरा नम्बर 560 गैर सायल मान सिंह व नेत्रपाल के मनबट हिस्से में है और वह इस नम्बर पर मनबट के समय से ही काश्त करते चले आ रहे है और गैर सायल मान सिंह व नेत्रपाल इस नम्बर का काश्तकारी में उपयोग ले रहे है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील सायल ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायलान को ता फैसला वाद पावंद किये जाने की कृपा करें। गैर सायलान के विद्वान वकील द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र के जबाव में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यों के विपरीत होने से काविले खारिजी के है जिसे खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

<u>प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः–</u> सायल का कथन रहा कि आराजी अविभाजित आराजी है जिसका विभाजन अभी नहीं हुआ है। सायल एवं गैर सायलान पूर्व में मनबट के आधार पर कृषि व काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम अऊ में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बरान 144/0.19, 145/0.36, 552/0.36, 560/0.35,डीग भरतपुर राजमार्ग पर स्थित है और उक्त आराजी को लेकर गैर सायलान के मन में बदयांति आई हुई है और अभी हाल में गैर सायलान मान सिंह व नेत्रपाल ने हाल आराजी खसरा नम्बर 560/0.35 की आराजी पर इलैक्ट्रॉनिक कांटा लगाने की धमकी दी है। **गैर सायलान का कथन रहा कि** ग्राम अऊ में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बरान 144,145, 552, 560 जोकि डीग–भरतपुर राजमार्ग पर स्थित है। उनमें से हाल आराजी खसरा नम्बर 560 गैर सायल मान सिंह व नेत्रपाल के मनबट हिस्से में है और वह इस नम्बर पर मनबट के समय से ही काश्त करते चले आ रहे है और गैर सायलान मान सिंह व नेत्रपाल इस नम्बर का काश्तकारी में उपयोग में ले रहे है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण गैर सायलान के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

<u>सुविधा का संतुलनः–</u> सायल का कथन रहा कि आराजी अविभाजित आराजी है जिसका विभाजन अभी नहीं हुआ है। सायल एवं गैर सायलान पूर्व में मनबट के आधार पर कृषि व काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम अऊ में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बरान 144/0.19, 145/0.36, 552/0.36, 560/0.35,डीग भरतपुर राजमार्ग पर स्थित है और उक्त आराजी को लेकर गैर सायलान के मन में बदयांति आई हुई है और अभी हाल में गैर सायलान मान सिंह व नेत्रपाल ने हाल आराजी खसरा नम्बर 560/0.35 की आराजी पर इलैक्ट्रॉनिक कांटा लगाने की धमकी दी है। **गैर सायलान का कथन रहा कि** ग्राम अऊ में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बरान 144,145, 552, 560 जोकि डीग–भरतपुर राजमार्ग पर स्थित है। उनमें से हाल आराजी खसरा नम्बर 560 गैर सायल मान सिंह व नेत्रपाल के मनबट हिस्से में है और वह इस नम्बर पर मनबट के समय से ही काश्त करते चले आ

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

रहे है और गैर सायल मान सिंह व नेत्रपाल इस नम्बर का काश्तकारी में उपयोग में ले रहे है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन गैर सायलान के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

अपूर्तिनीय क्षतिः– **सायल का कथन रहा कि** आराजी अविभाजित आराजी है जिसका विभाजन अभी नहीं हुआ है। सायल एवं गैर सायलान पूर्व में मनबट के आधार पर कृषि व काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम अऊ में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बरान 144/0.19, 145/0.36, 552/0.36, 560/0.35,डीग भरतपुर राजमार्ग पर स्थित है और उक्त आराजी को लेकर गैर सायलान के मन में बदयांति आई हुई है और अभी हाल में गैर सायलान मान सिंह व नेत्रपाल ने हाल आराजी खसरा नम्बर 560/0.35 की आराजी पर इलैक्ट्रॉनिक कांटा लगाने की धमकी दी है। **गैर सायलान का कथन रहा कि** ग्राम अऊ में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बरान 144,145, 552, 560 जोकि डीग–भरतपुर राजमार्ग पर स्थित है। उनमें से हाल आराजी खसरा नम्बर 560 गैर सायल मान सिंह व नेत्रपाल के मनबट हिस्से में है और वह इस नम्बर पर मनबट के समय से ही काश्त करते चले आ रहे है और गैर सायलान मान सिंह व नेत्रपाल इस नम्बर का काश्तकारी में उपयोग ले रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, वकील उभय पक्षकारान की बहस अनुसार प्राइमा फेसी केस व बैलेंस ऑफ कन्वीनियन्स एवं अपूर्णनीय क्षति गैर सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, के तथ्य व परिस्थिति की दृष्टि से वकील सायल का प्रस्तुत रिकार्ड,बहस के अवलोकन व मनन करने तथा गैर सायलान के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड,बहस इस प्रकरण पर बखूबी चस्पा होती है। ऐसी स्थिति में हम सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट,अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, खारिज किया जाता है।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner